



आयकर विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड



विदेशी आस्तियों और आय की
घोषणा

विदेशी संपत्ति/आय का प्रकटीकरण किसे करना चाहिए?

- पिछले वर्ष में भारत में रहने वाला कोई भी निवासी, भले ही पिछले वर्ष की आय कर योग्य सीमा से कम हो। जिसके पास विदेशी आय या विदेशी संपत्ति है

निवासी भारतीय कौन हैं?

- ऐसा व्यक्ति जो पिछले किसी भी वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहा हो। **या** ऐसा व्यक्ति, जो पिछले चार वर्षों में 365 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहा हो, **और** पिछले वर्ष में 60 दिन या उससे अधिक
- हिंदू अविभक्त कुटुम्ब (HUF), फर्म या व्यक्तियों की समिति (AOP) भारत में निवासी माना जाता है, सिवाय उन मामलों के जहां इसके कार्यों का नियंत्रण और प्रबंधन पूरी तरह से भारत के बाहर स्थित है।
- एक कंपनी, जो भारतीय कंपनी हो, या एक कंपनी जिसका प्रभावी प्रबंधन स्थान भारत में हो

विदेशी आय और परिसंपत्तियों में क्या शामिल है?

- विदेशी परिसंपत्तियों में कोई भी विदेशी निक्षेपागार खाता, कस्टोडियल खाता, नकदी मूल्य बीमा अनुबंध या वार्षिकी संविदा, कोई भी खाता जिसमें करदाता को हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त हो, भारत के बाहर स्थापित किसी भी न्यास में न्यासी/लाभार्थी/सेटलमेंटकर्ता, बैंक खाता, विदेशी इक्विटी और ऋण ब्याज (ESOP सहित), किसी भी इकाई/व्यवसाय में वित्तीय हित, अचल संपत्ति, कोई अन्य पूंजीगत परिसंपत्ति आदि शामिल हैं, जो भारत के बाहर स्थित हैं और करदाता के नाम पर धारित हैं या जिनके संबंध में करदाता एक लाभकारी स्वामी है।
- विदेशी आय में भारत के बाहर स्थित स्रोतों से होने वाली आय शामिल है, जैसे कि वेतन, गृह संपत्ति से होने वाली आय, व्यवसाय/पेशेवर आय, दीर्घकालिक पूँजी अधिलाभ, अल्पकालिक पूँजी अधिलाभ, ब्याज, लाभांश, रॉयल्टी (जो व्यावसायिक आय का हिस्सा नहीं है), तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क (जो व्यावसायिक आय का हिस्सा नहीं है), सकल आय, मोचन, अन्य, आदि।

प्रकटीकरण कहाँ करें?

- सही ITR फॉर्म (ITR-1 और ITR -4 को छोड़ कर) चुनकर, जैसा लागू हो, आपके आय के विवरण के अनुसार।
- ITR-1 और ITR-4 में अनुसूची FA, अनुसूची FSI और अनुसूची TR शामिल नहीं हैं।

प्रकटीकरण कब करना चाहिए?

- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1), 139(4) और 139(5) के अनुसार नियत तिथि से पहले आय विवरण दाखिल करते समय।

ITR में विदेशी आस्तियों और आय का प्रकटीकरण कहाँ करना चाहिए?

- अनुसूची FA विदेशी परिसंपत्तियों और उन परिसंपत्तियों से प्राप्त आय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए है।
- अनुसूची FSI भारत के बाहर के स्रोतों से अर्जित या प्राप्त आय और उस पर किसी भी कर छूट का विवरण प्रस्तुत करने के लिए है।

- अनुसूची TR भारत के बाहर चुकाए गए या रोके गए कर के लिए दावा की गई कर राहत के ब्यौरे और सारांश देने के लिए है।

प्रकटीकरण कैसे करें?

- करदाता के नाम पर धारित या जिसके संबंध में करदाता एक लाभकारी स्वामी है, ऐसी विदेशी संपत्तियों के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी (संपत्ति का प्रकार, देश, पता, अर्जन की तिथि, संपत्ति का वर्तमान मूल्य, अर्जन की लागत, उत्पन्न आय सहित) संकलित करें।
- भारत के बाहर के स्रोतों से प्राप्त सभी विदेशी आय का विवरण संकलित करें (जिसमें आय का प्रकार, अर्जित राशि, देश, भुगतान किया गया कर या कटौती शामिल हो)।
- incometax.gov.in पर उपलब्ध चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका का संदर्भ लेते हुए, प्रयोज्य अनुसूचियों में आवश्यक विवरण भरें।
- यदि लागू हो तो, अनुसूची TR के अतिरिक्त, फॉर्म 67 को ऑनलाइन भरकर दोहरे कराधान बचाव समझौते के तहत कर लाभ का दावा करें।

यदि आयकर विवरणी नियत तिथि से पहले दाखिल नहीं किया गया हो तो क्या करें?

- यदि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए विवरणी दाखिल नहीं किया गया है, तो विलंबित विवरणी 31 दिसंबर 2025 तक दाखिल किया जा सकता है।
- विदेशी संपत्ति और आय की घोषणा करना अनिवार्य है, भले ही आय कराधेय सीमा से कम हो।

यदि आयकर विवरणी दाखिल कर दिया गया है, लेकिन विदेशी संपत्ति और आय की घोषणा नहीं की गई है तो क्या करें?

- विवरणी में संशोधन करने की नियत तिथि से पहले विवरणी में संशोधन करें।
- यानी 31 दिसंबर 2025 से पहले
- संशोधित विवरणी दाखिल करते समय सही ITR फॉर्म चुनें (यदि मूल विवरणी ITR-1 या ITR-4 में भरा गया हो)।
- संशोधित विवरणी में अनुसूची FA, अनुसूची FSI और अनुसूची TR में विदेशी आय और परिसंपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करें।

विदेशी संपत्तियों और आय का पूर्ण और सटीक प्रकटीकरण करने के क्या लाभ हैं?

- काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत प्रकटीकरण आवश्यकता का स्वैच्छिक अनुपालन
- विदेश से अर्जित आय पर, जहां कर पहले ही चुकाया जा चुका है या काटा जा चुका है, दोहरे कराधान से बचाव करना।
- काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत जानकारी छिपाने और गलत विवरण भरने से संबंधित शास्तियों और अभियोजन से बचाव।

विदेशी आय और संपत्ति के बारे में जानकारी छिपाने के क्या परिणाम होते हैं?

- काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर लगाने संबंधी अधिनियम, 2015 के तहत निर्धारण कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

- (अचल संपत्ति के अलावा) यदि किसी संपत्ति या संपत्तियों का कुल मूल्य
 - यदि कोई व्यक्ति जिसके नाम पर विदेशी संपत्ति है या जिसका वह लाभकारी स्वामी है, आय का विवरण प्रस्तुत करने और उसे अपने विवरण में प्रकट करने में विफल रहता है, तो उस पर काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर निर्धारण अधिनियम, 2015 की धारा 42 के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है।
 - यदि करदाता अपने पहले से दाखिल किए गए आयकर विवरणी में भारत के बाहर स्थित किसी संपत्ति (किसी संस्था में वित्तीय हित सहित) के बारे में जानकारी देने में विफल रहता है या गलत विवरण प्रस्तुत करता है, तो काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर निर्धारण अधिनियम, 2015 की धारा 43 के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है।
- विदेशी संपत्ति और आय की विवरणी दाखिल न करने/जानकारी प्रस्तुत न करने या गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत अभियोग की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

अधिक जानकारी के लिए:

विदेशी आय और परिसंपत्तियों की घोषणा पर संवाद सत्र



आयकर वेबसाइट पर चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका



आयकर निदेशालय

(जनसंपर्क, प्रकाशन एवं प्रचार)

Income Tax India @incometaxindia.official @incometaxindiaofficial
 @IncomeTaxIndia @Income Tax India Official

जुलाई, 2025

अस्वीकरण: इस ब्रोशर को कानून का संपूर्ण विवरण नहीं माना जाना चाहिए।
 विस्तृत जानकारी के लिए अधिनियमों और नियमों में दिए गए संबंधित प्रावधानों का संदर्भ अवश्य लें।

www.incometax.gov.in | www.incometaxindia.gov.in